**न्यायालय–नसीम नजर, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज**

**स्वत्व वाद सं0–27/2021**

रामजी चौधरी एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

राजदेव चौधरी एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

| DATE | ORDER | REMARKS |
|---|---|---|
| **03.12.2024** | उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। अभिलेख आज वादीगण की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 06.01.2024 अंतर्गत आदेश 22 नियम 04 एवं 09 व्यवहार प्रकिया संहिता पर सुनवाई एवं आदेश हेतु नियत है।<br>**आदेश (ORDER)**<br>वादीगण का अपने आवेदन में कहना है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी सं0–07 किशुन चौधरी की मृत्यु मई 2023 में हो गई है तथा प्रस्तुत वाद में मृत प्रतिवादी सं0–09 के विधिक वारिसानों का नाम पता मालूम करने पर उनके एक पुत्र, चार पुत्री तथा पत्नी का नाम पता चला है। अतः वादपत्र से प्रतिवादी सं0–07 किशुन चौधरी का नाम कलमजद करने तथा उनके स्थान पर आवेदन में वर्णित उनके विधिक वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करने की कृपा करें, जो प्रस्तुत वाद के आवश्यक पक्षकार है।<br>प्रतिवादीगण की ओर से वादीगण के दाखिल आवेदन का प्रत्युत्तर दिनांक 23.07.2024 को दाखिल किया गया तथा कहा गया कि आवेदन कानून एवं तथ्य दोनों दृष्टिकोण से परिपालनीय नहीं है बल्कि खारिज होने योग्य है। वादीगण द्वारा जानबुझकर प्रतिस्थापना आवेदन विलंब से दाखिल किया गया है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण दोनों एक ही गाँव के है। वादीगण के आवेदन देखने से स्पष्ट है कि प्रतिवादी सं0–09 के विधिक वारिसानों का नाम पता मालूम करने पर उनके एक पुत्र, चार पुत्री एवं पत्नी का नाम पता चला है जबकि प्रतिवादी सं0–07 किशुन चौधरी पत्नी, एक पुत्र तथा पाँच पुत्री को छोडकर मरे है। अतः आवेदन खारिज किया जाय।<br>उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित | |

**न्यायालय–नसीम नजर, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज**

**स्वत्व वाद सं0–27/2021**

रामजी चौधरी एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

राजदेव चौधरी एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

| | | |
|---|---|---|
| **लगातार 03.12.2024** | होता है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी सं0–07 किशुन चौधरी की मृत्यु हो गई है, जिसे प्रतिवादीगण भी स्वीकार करते है। आवेदन के समर्थन में वादीगण की ओर से शपथपत्र तथा परिसीमा अधिनियम की धारा 05 का आवेदन भी दाखिल किया गया है। वादीगण का आवेदन समय सीमा के अंतर्गत दाखिल नहीं किया गया है। अभिलेख अवलोकन से यह भी प्रतीत होता है कि प्रतिस्थापन आवेदन में टंकक के भूलवश प्रतिवादी सं0–07 के स्थान पर प्रतिवादी सं0–09 अंकित हो गया है तथा आवेदन में एक पुत्र, पाँच पुत्रियाँ तथा मृतक की पत्नी का नाम दिया गया है, जिसे प्रतिवादीगण ने अपने प्रत्युत्तर में स्वीकार किया है। अतः न्यायहित में वादीगण का आवेदन दिनांक 06.01.2024 को मो0–1000/– रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है तथा कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि वह वादपत्र से मृत प्रतिवादी सं0–07 किशुन चौधरी का नाम कलमजद करें तथा मृतक के विधिक वारिसानों में आवेदनानुसार मृतक की पत्नी मु0 केवली, एक पुत्र बडेलाल चौधरी तथा पाँच पुत्रियाँ निर्मला देवी, प्रेमशीला देवी, लाईची देवी, सीमा देवी एवं कमलावती देवी का नाम प्रतिस्थापित करें तद्पश्चात वादीगण की ओर से प्रतिस्थापित प्रतिवादीगणों की उपस्थिति हेतु समन की अपेक्षिकाएँ दाखिल करें।<br>वाद दिनांक 07.01.2025 को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत।<br>लेखापित<br>अवर न्यायाधीश<br>नरकटियागंज | |